GOVT. HAMIDIA ARTS AND COMMERCE COLLEGE, BHOPAL

AAWAS SAHAYATA YOJANA

SESSION-2020-21

Amount received under the scheme

Sr. No.	Academy Year	No. of Students	Amount Received
1	2020-21	266	31,26,050

प्राचार्य

(Dr. Anil Shivani)

Principal

Govt. Hamidiya Arts & Commerce college, Bhopal
Awas Sahayata Yojna(SC)
Session-2020-21

S.no	Academic year	Name of the student	Amount Received
1	2020-21	Ashok Ahirwar	12000
1	2020-21	Vikash Ahirwar	12000
2	2020-21	Shani Barar	12000
3	2020-21	Raja Kumar	12000
4	2020-21	Anil Jatav	12000
5	2020-21	Ram Babu	10800
6	2020-21	Ravindra Ahirwar	12000
7	2020-21	Manoj Suryavanshi	12000
8	2020-21	Chunmun Barar	12000
9	2020-21	Bhagwan Singh	12000
10	2020-21	Sandeep	12000
11	2020-21	Ritik Kalawat	12000
12	2020-21	Banti Mehar	12000
13	2020-21	Ashutosh Mandevar	12000
14	2020-21	Rajendra Singh	12000
15	2020-21	Chhotu Jagdeesh	12000
16	2020-21	Akash Jatav	12000
17	2020-21	Durgesh Ahirwar	12000
18	2020-21	Makhanlal Ahirwar	12000
19	2020-21	Deepak	12000
20	2020-21	Netram Ahirwar	10000
21	2020-21	Vinod Ahirwar	12000
22	2020-21	Vikash Kumar Saket	7500
23	2020-21	Rajkumar Koushal	12000
24	2020-21	Shyambabu Bansal	12000
25	2020-21	Manoj Ahirwar	12000
26	2020-21	Rakhi Diwakar	12000
27	2020-21	Brijesh Kumar Ahirwar	12000
28	2020-21	Hari Singh	12000
29	2020-21	Sanjay Koli	12000
30	2020-21	Vishal Ganeshe	12000
31	2020-21	Harish Jatav	12000
32	2020-21	Abhishek Ahirwar	12000
33	2020-21	Indal Solanki	12000
34	2020-21	Prakash Bansal	12000
35	2020-21	Rajesh Bakhariya	12000

प्राचार्य

36	2020-21	Dharmendra Ahirwar	12000
37	2020-21	Ghanshyam Jhagre	12000
38	2020-21	Ramshankar Dandre	10000
39	2020-21	Jitendra Ahirwar	12000
40	2020-21	Shivendra Prasad Saket	12000
41	2020-21	Sunil Malviya	12000
42	2020-21	Vijay Ahirwar	12000
43	2020-21	Seetaram Na	12000
44	2020-21	Ramvilas Ahirwar	12000
45	2020-21	Jeetendra Ahirwar	12000
46	2020-21	Santosh	12000
47	2020-21	Harish Ahirwar	12000
48	2020-21	Pushpendra Ahirwar	12000
49	2020-21	Pankaj Mehar	12000
50	2020-21	Sandeep Ahirwar	12000
51	2020-21	Rohit Rajak	12000
52	2020-21	Shubham Rajak	12000
53	2020-21	Arun Kumar Raidas	12000
54	2020-21	Sandeep Ahirwar	12000
55	2020-21	Manmohan Mehar	12000
56	2020-21	Deepak Shakya	12000
57	2020-21	Jeetu Ahirwar	12000
58	2020-21	Neeraj Ahirwar	12000
59	2020-21	Govind	12000
60	2020-21	Hariom Ahirwar	12000
61	2020-21	Aniket Silawat	12000
62	2020-21	Vikas Pawar	12000
63	2020-21	Ravindra	12000
64	2020-21	Sumit Bagahe	12000
65	2020-21	Lekhram	12000
66	2020-21	Rohit Katare	12000
67	2020-21	Amit Bargel	12000
68	2020-21	Purushottam Singh	7500
69	2020-21	Rajkumar Ahirwar	12000
70	2020-21	Vikas Ahirwar	12000
71	2020-21	Hitesh Na	12000
72	2020-21	Bhupendra Ahirwar	12000
73	2020-21	Vikas Ahirwar	12000
74	2020-21	Ankush Dahayat	12000
75	2020-21	Yatendra Moriya	12000
76	2020-21	Deepak Ahirwar	12000

77	2020-21	Siddharth Nalanda	12000
78	2020-21	Vikash Ahirwar	12000
79	2020-21	Bharat Singh	12000
80	2020-21	Rohit Ahrwar	6000
81	2020-21	Krishna Bansal	12000
82	2020-21	Nilesh Na	6000
83	2020-21	Pradeep Vanshkar	0
84	2020-21	Santosh Ahirwar	12000
85	2020-21	Kalyan Ahirwar	12000
86	2020-21	Lucky Panthi	12000
87	2020-21	Pranay Bambode	7500
88	2020-21	Vivek Jatav	12000
89	2020-21	Prabhat Nirapure	12000
90	2020-21	Rakesh Ahirwar	12000
91	2020-21	Neeraj Ahirwar	12000
92	2020-21	Bheekam Ahirwar	12000
93	2020-21	Sandeep	12000
94	2020-21	Dharmendra Kumar Ahirwar	12000
95	2020-21	Ramsevak Ahirwar	12000
96	2020-21	Ashish Malviya	12000
97	2020-21	Kaluram Ahirwar	12000
98	2020-21	Umesh Kumar Prajapati	12000
99	2020-21	Rajendra Ahirwar	12000
100	2020-21	Govind Vanshkar	8000
101	2020-21	Pradum Jatav	12000
102	2020-21	Ravi Rajak	10200
103	2020-21	Umesh Ahirwar	12000
104	2020-21	Deepak Mehar	12000
105	2020-21	Ramnivas Mehar	12000
106	2020-21	Sanjay Na	12000
107	2020-21	Santosh Kumar	12000
108	2020-21	Ghanshyam Ahirwar	12000
109	2020-21	Bhawanisingh Chadar	12000
110	2020-21	Samander Malviya	12000
111	2020-21	Vikas Ahirwar	12000
112	2020-21	Pohap Ahirwar	12000
113	2020-21	Bhagvan Singh Ahirwar	12000
114	2020-21	Pahalwan Ahirwar	12000
115	2020-21	Radheshyam Na	12000
116	2020-21	Mithlesh Kishore	12000
117	2020-21	Gordhan Singh	12000

प्राचार्य
शासकीय हमीदिया कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

118	2020-21	Dinesh Ahirwar	12000
119	2020-21	Sanju	12000
120	2020-21	Ramkishan Ahirwar	12000
121	2020-21	Mamtesh	12000
122	2020-21	Pramod	12000
123	2020-21	Ravindra Anuragi	16000
124	2020-21	Anil Ahirwar	12000
125	2020-21	Raghuveer Veldar	16000
126	2020-21	Aman Mandral	16000
127	2020-21	Vinod Kumar Ahirwar	12000
128	2020-21	Malkhan Singh	12000
129	2020-21	Sandeep Kumar Ahirwar	12000
130	2020-21	Nitin Nagle	16000
131	2020-21	Abhay Jatav	12000
132	2020-21	Sandesh Ahirwar	12000
133	2020-21	Ankit Malviya	12000
134	2020-21	Veerendra Kumar Ahirwar	12000
135	2020-21	Anil Malviya	12000
136	2020-21	Rajendra Jatav	12000
137	2020-21	Ankit Anand	12000
138	2020-21	Rakesh Ahirwar	12000
139	2020-21	Mulayam Singh	12000
140	2020-21	Ramji Ahirwar	12000
141	2020-21	Pawan Kayre	12000
142	2020-21	Ashish Ahirwar	12000
143	2020-21	Jitendra Kumar Bakoriya	12000
144	2020-21	Rahul Ahirwar	12000
145	2020-21	Suraj Singh	12000
146	2020-21	Mohan Singh Ahirwar	12000
147	2020-21	Rajesh Ahirwar	12000
148	2020-21	Lalit Ahirwar	12000
149	2020-21	Vikas	12000
150	2020-21	Nilesh Golait	12000
151	2020-21	Hemant Kumar Ahirwar	12000
152	2020-21	Nitesh Dhawre	12000
153	2020-21	Sunil Vijoriya	12000
154	2020-21	Lakhan Singh Na	12000
155	2020-21	Vikas Mehar	12000
156	2020-21	Ram Charan Jatav	12000
157	2020-21	Gabbar Singh	12000
158	2020-21	Dheeraj Dohare	12000

प्राचार्य

159	2020-21	Pritam Singh	12000
160	2020-21	Sonu Mehar	10000
161	2020-21	Lokesh Bamne	12000
162	2020-21	Rajkumar Nagle	7500
163	2020-21	Sonu Ahirwar	12000
164	2020-21	Manish Ahirwar	6000
165	2020-21	Malkhan Ahirwar	12000
166	2020-21	Manish Goyal	12000
167	2020-21	Ajay Verma	12000
168	2020-21	Sanjay Malviya	12000
169	2020-21	Rajendra Kumar	12000
170	2020-21	Shivam Prajapati	12000
171	2020-21	Susheel Kumar	12000
172	2020-21	Sunil Chouhan	12000
173	2020-21	Sunil Ahirwar	12000
174	2020-21	Dileep Mehar	12000
175	2020-21	Vinod Ahirwar	12000
176	2020-21	Suresh Kumar Ahirwar	12000
177	2020-21	Rohit Jatav	12000
178	2020-21	Shailendra Goyal	12000
179	2020-21	Anil	12000
180	2020-21	Pradeep Kumar Mehtar	12000
181	2020-21	Mukesh Ahirwar	12000
182	2020-21	Anil Kumar	2000
183	2020-21	Surendra Mehar	12000
184	2020-21	Rahul Bamniya	12000
185	2020-21	Ajay Malviya	12000
186	2020-21	Sunil Jatav	12000
187	2020-21	Sonu Songara	12000
188	2020-21	Rajkumar Malviya	12000
189	2020-21	Pawan Mehara	12000
190	2020-21	Deepak Badodeeya	8000
191	2020-21	Praveen Kumar	12000
192	2020-21	Deepak Kumar Anwale	12000
193	2020-21	Sunil	12000
194	2020-21	Malkhan Ahirwar	12000
195	2020-21	Hemraj Vanshkar	12000
196	2020-21	Dinesh Kumar	12000
197	2020-21	Sachin Mehar	12000
198	2020-21	Ghanshyam Mehar	12000
199	2020-21	Rajkumar Mehar	12000

प्राचार्य
शासकीय हमीदिया कला
वाणिज्य महाविद्यालय, भा

200	2020-21	Devendra Khatarker	12000
201	2020-21	Savan Shiv	12000
202	2020-21	Raj Kumar	12000
203	2020-21	Jasrath Jatav	12000
204	2020-21	Manoj Kumar Chouhan	12000
205	2020-21	Krishnpal	12000
206	2020-21	Deepak Kumar Ahirwar	12000
207	2020-21	Sanjeev Ahirwar	12000
208	2020-21	Narayan Singh Ahirwar	12000
209	2020-21	Ravi Ahirwar	12000
210	2020-21	Vinod Ahirwar	12000
211	2020-21	Sheshmani Jatav	12000
212	2020-21	Ravi Silawat	12000
213	2020-21	Rohit Kumar Ahirwar	12000
214	2020-21	Abhishek Goliya	12000
215	2020-21	Ravi Kumar	12000
216	2020-21	Anand Vankhede	12000
217	2020-21	Ravi Malviya	2000
218	2020-21	Sandeep	10800
219	2020-21	Giriraj Ahirwar	12000
220	2020-21	Sandeep Balodiya	16000
221	2020-21	Charan Singh	12000
222	2020-21	Supyar Singh Ahirwar	12000
223	2020-21	Hemant Parihar	12000
224	2020-21	Manoj Kumar Chouhan	12000
225	2020-21	Vinod Kumar	12000
226	2020-21	Aajad Malviya	12000
227	2020-21	Aklesh Ahirwar	12000
228	2020-21	Sudhir Ahirwar	12000
229	2020-21	Mahesh Ahirwar	12000
230	2020-21	Sanjay Nabe	12000
231	2020-21	Maharaj	12000
232	2020-21	Dipak Kumar	12000
233	2020-21	Mukesh Ahirwar	12000
234	2020-21	Abhishek Ahirwar	12000
235	2020-21	Lakhan Malviya	12000
236	2020-21	Raj Kumar	12000
237	2020-21	Pawan Ahirwar	12000
238	2020-21	Narendra Bansal	6250
239	2020-21	Jagdeesh Ahirwar	12000
240	2020-21	Amit Na	12000

प्राचार्य
शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

241	2020-21	Vivek Ahirwar	12000
242	2020-21	Sourabh Kannouji	12000
243	2020-21	Rahul Dangoliya	12000
244	2020-21	Deepak Kumar	8000
245	2020-21	Raja Ahirwar	12000
246	2020-21	Ganesh Bamniya	12000
247	2020-21	Nilesh Mehar	12000
248	2020-21	Arjun Ahirwar	12000
249	2020-21	Manoj Na	12000
250	2020-21	Vijay Kumar	12000
251	2020-21	Abhishek Ahirwar	12000
252	2020-21	Gyanendra Dhanware	12000
253	2020-21	Vinod Ahirwar	12000
254	2020-21	Suresh Shivankar	12000
255	2020-21	Sunil	12000
256	2020-21	Sunil Kumar	12000
257	2020-21	Golu Valmik	12000
258	2020-21	Raj Kumar	12000
259	2020-21	Pradeep Singh Jatav	12000
260	2020-21	Vikas Kumar Saket	12000
261	2020-21	Mukesh Panthi	12000
262	2020-21	Gabbar	12000
263	2020-21	Pawan Na	10000
264	2020-21	Krishna Pandole	12000
265	2020-21	Ganesh Prasad	12000
266	2020-21	Shubham Silavat	12000
Total			**3126050**

प्रा
शासकीय
वाणिज्य म

प्राचार्य
शासकीय ... कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

आवास :- भत्ता P.M. Scholarship के Format के अनुसार

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवास सहायता योजना

नियम 2013

म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना लागू करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -

(1) ये नियम अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवास सहायता योजना नियम 2013 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।

(3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नियम प्रभावशील होंगे।

2 उद्देश्य:-

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आवास सहायता योजना तैयार की गई है।

3. योजना का स्वरूप व क्रियान्वयन:-

(1) वर्ष 2013-14 से महाविद्यालयीन स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित होगी।

(2) योजना जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय पर लागू होगी।

(3) आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से नियम के अनुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को आवास सहायता दी जायेगी।

उपसचिव
आदिम जाति कल्याण विभाग
(शाखा - 5)
वल्लभ भवन, भोपाल.

4. स्वीकृति के अधिकार -

(1) विद्यार्थी द्वारा जिस स्थान/नगर के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं में नियमित अध्ययन किया जा रहा है, उस स्थान पर विद्यार्थी के पालक का आवासीय निवास न होने का प्रमाण पत्र/ पालक का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिकों के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु संबद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे।

5. पात्रता -

(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की महाविदयालयों एवं समकक्ष या उच्च स्तर पर नियमित प्रवेशित तथा जिनका अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, वे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रूपये 2000/- प्रति विघार्थी, जिला मुख्यालयों पर प्रति विघार्थी रूपये 1250/- एवं तहसील/विकास खण्ड मुख्यालय पर रूपये 1000/- प्रति विघार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि देय होगी।

(3) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रवेश लेने वाले एवं आवेदन देने वाले विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होंगे।

(4) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(5) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन करनी होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

अवर सचिव
आदिम जाति कल्याण विभाग
(शाखा - 5)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

(6) अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र हो जायेंगे।

(7) एक वर्ष पश्चात परिणामों के आधार पर योजना का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

(8) योजना के परिणामों एवं प्रभाव का तृतीय पक्ष (Third Party) मूल्यांकन कराने का प्रावधान रहेगा।

6. भुगतान की प्रक्रिया -

(1) विद्यार्थियों को आवास सहायता पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए ही देय होगी।

(2) लाभार्थी छात्र छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से करेंगें।

(3) आधार आधारित बैंक एकाउन्ट में डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत राशि विद्यार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।

(4) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अंतराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

(मीनाक्षी मालवीय)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

(शाखा - 5)

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2 / 1860 भोपाल दिनांक 23/12/2016

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आदेश क्रमांक-एफ-12-06/2013/25-2/2039 एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-23-04/2013/25-5 दिनांक 11/09/2013 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2013 जारी किया गया था। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों को समाहित करते हुए आवास सहायता योजना नवीन नियम वर्ष 2016 एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

2/ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:-

   (1) ये नियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 कहलायेंगे।
   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
   (3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नवीन नियम प्रभावशील होंगे।

2. योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन :-

   (1) वर्ष 2013-14 से महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक/बालिकाओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है। वर्ष 2016-17 से इस योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑन लाईन किया जावेगा।

(2) योजना भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालय, अन्य समस्त जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील / विकासखण्ड मुख्यालय स्तर तक लागू होगी।

(3) केन्द्र / राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्य ग्राम / कस्बे में हो तो ऐसे ग्राम / कस्बे में निवासरत विद्यार्थी को विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

4. पात्रता :-

(1) ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / अन्य संस्थाओं के स्नातक / स्नातकोत्तर / समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।

(3) समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका-4 (4) अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(4) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/- तथा तहसील / विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी।

(5) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(6) एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा।

(7) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

(8) अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

एक ही माता / पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया :—

(1) विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करेंगे।

(2) ऑन—लाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र / किरायानामा अपलोड करेंगे।

(3) विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्ण / भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. स्वीकृति की प्रक्रिया एवं अधिकार :—

(1) स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु सम्बद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे। छात्र द्वारा ऑन—लाईन भरे गये आवेदन पत्र, समग्र आई.डी. से प्राप्त विवरण एवं अपलोड किये गये समस्त अभिलखों के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता प्राचार्यों का होगा।

(2) विद्यार्थी द्वारा ऑन—लाईन किये गये आवेदन पत्र एवं अपलोड किये गये अभिलेखों को पृथक से हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् बालिकाओं को आवास सहायता स्वीकृति के अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को होंगे।

7. भुगतान की प्रक्रिया :—

(1) आवास सहायता की स्वीकृत राशि का परीक्षण कर जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यह संबंधित जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उनके जिले में संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में स्वीकृत सारी सीटें भरी हुई हों । इसके पश्चात आवास सहायता की राशि जारी की जाए ।

(2) विद्यार्थियों को आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए एक बार ही देय होगी। किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि, किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।

Imp

(3) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अन्तराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह मे देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग,
भोपाल दिनांक 23/12/2016

पृ0 क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1826
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. ✓ आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को यू.ओ. टीप क्रमांक 23124 दिनांक 27/10/2016 के सन्दर्भ में प्रेषित।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र.।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास मध्यप्रदेश।
13. कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
14. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / आईटी / एबीवाए / 2016 / एफ 12-06/2013/25-2/1067 भोपाल, दिनांक 28/07/2016

"आदेश"

विषयः अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु आवास सहायता नियम 2013 में संशोधन।

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ–12–06 / 2013 / 25–2 / 2039–40 दिनांक 11.09.2013 में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को आवास सहायता योजना नियम–2013 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करता हैः–

कण्डिका 4.2: स्वीकृति के अधिकार के कॉलम में सरल क्रमांक 4.2 को परिवर्तित किया जाता है।

आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन की स्वीकृति ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के साथ ही होगी। आवास सहायता योजना के स्वीकृति अधिकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ही होंगे।

शेष नियम यथावत लागू रहेंगे।

आवास सहायता

AC(N)
28 JUL 2016

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

पृ. क्रं / आईटी / एबीवाए / 2016 / एफ- 12-06/2013/25-2/1068 भोपाल, दिनांक 28/07/2016

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. ✓आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल।
6. संचालक / अपर आयुक्त, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, श्यामला हिल्स, भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
8. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र भोपाल।
9. श्री विनीत तिवारी, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
12. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टीप : आदेश पत्र की प्रति, विभाग के अधिकृत शासकीय ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है एवं पृथक से मुद्रित प्रति नहीं भेजी जाएगी।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

(130)

कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29/7/16

पृ0क्रमांक / 455 / 2016 / 16867

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र. को सूचनार्थ । भोपाल

2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(5)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश